



आसूराम / सरकार
136 LRACT
523/2025

2025/660

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी) पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

कमांक : राजस्व/2025/ 469

दिनांक : 27/10/2025

श.ज.प.स 532/2025

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रावनियाना भूअभिलेख निरीक्षक चिरढाणी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खारिया अनावास तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सर्वे आधार संवत् 2081 में खाता संख्या 167 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खारियाअनावास	167	आसाराम पुत्र जसाराम	आसूराम पुत्र जसाराम

(नेमा राम)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलेक्टर, पीपाड़शहर
दिनांक :- 27/10/2025

कमांक :-सम/2025/ 490-491

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. हल्का पटवारी रावनियाना को सुचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलेक्टर, पीपाड़शहर
पीपाड़ शहर